

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-330) अलेसे- I/570

दिनांक:- 13/11/19

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 761 दिनांक 30.10.2018 के द्वारा श्री रतन लाल खटीक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I (लिंक नं0 1875), कार्यालय उपकोषाधिकारी, मालपुरा, टोंक को दिनांक 12.10.2018 से निलम्बित कर मुख्यालय कोषालय, बून्दी किये जाने के कारण निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-330) अलेसे- I/570

दिनांक:- 13/11/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
- 3 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
- 4 जिला कलक्टर, टोंक।
- 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।
- 6 कोषाधिकारी, टोंक/बून्दी।
- 7 श्री रतन लाल खटीक, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, निलम्बन काल मुख्यालय-कोषालय, बून्दी।
- 8 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- 9 उपनिदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 10 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट।
- 11 श्री महेन्द्र गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II।
- 12 गार्ड फाइल।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)